

विषय - यातायात जागरूकता

नाम -

कक्षा -

अनुक्रमांक - 34

रूपरेखा :-

- (i) प्रस्तावना, (ii) यातायात का महत्व,
(iii) हाइवे पर लाल, पीली तथा हरी बत्ती जलने का अर्थ,
(iv) दुर्घटना का प्रभाव, (v) यातायात के नियम, दुर्घटना
के कारण व बचाव (vi) उपसंहार।

प्रस्तावना :-

यातायात दो शब्दों यात और आयात से मिलकर बना है जिसका अर्थ है आना और जाना। हमारे देश में यातायात के लिए युवा पुरुषों को जागरूक करने की सबसे अधिक आवश्यकता है हमारे देश में हर 24 घंटे में लगभग 53 दुर्घटनाएँ होती रहती हैं जिसमें 17 लोगों की मृत्यु होती है। इसलिए हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए हमारे देश में पूरे संसार का 1 प्रतिशत वाहन है किन्तु हमारे देश में दुर्घटनाएँ पूरे संसार की 10 प्रतिशत होती हैं ऐसा सभी व्यक्तियों की लापरवाही के कारण होता है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमें युवा पुरुषों और बच्चों को सतर्क करना चाहिए।

यातायात का महत्व :-

हमें सड़क पर वाहनों को अत्यंत सतर्क होकर चलाना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही किसी व्यक्ति को संसार से अलविदा कहने के लिए काफी है सबका जीवन मूल्यवान होता है इसीलिए अपने लिए ही नहीं सही परन्तु दूसरों के लिए अत्यंत सावधानी से वाहन

जलाना चाहिए।

सरकार ने हमारे जीवन को मूल्यवान मानते हुए अनेक नियम सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए बनाए हैं जैसे - हाइवे पर लाल, पीली तथा हरी बत्ती को जलाना आदि। इसकी सहायता से सड़क दुर्घटनाएँ कम होंगी और देश की अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी।

सड़क पर लाल, पीली तथा हरी बत्ती जलाने का अर्थ :-

सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हाइवे पर पीली, लाल तथा हरी बत्ती लगाया है।

जिसमें पीली बत्ती जलाने पर तैयार होना तथा लाल बत्ती रुकने के लिए और हरी बत्ती जाने के लिए रहती है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएँ कम होती हैं।

दुर्घटना का प्रभाव :-

1. दुर्घटनाओं से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है जैसे - मृतक की दुर्घटना के कारण मौत होने पर उसके परिवार अपने घर में दुर्घटना सुनकर स्वयं ही आत्महत्या कर लेते हैं।

2. हमारे देश में बार्डर में मरने वालों से ज्यादा लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं जिसका कारण लापरवाही है।
में दुर्घटना में मरने के लिए कुछ पंक्ति कहना चाहती है :-

मरना है तो बतन के लिए मरो,
लापरवाही में मरने से क्या फायदा।

यातायात के नियम :-

यातायात के निम्न नियम हैं:-

1. सड़क पर हमेशा बायीं ओर चलना चाहिए।
2. हमेशा यू टर्न या गली में मुड़ते समय अपने पीछे आ रही वाहनों के चालक को इशारा कर देना चाहिए जिससे चालक सतर्क हो जाये।
3. हमें हमेशा पैदल चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही सड़क पार करनी चाहिए।
4. वाहन चलाने समय चालक को और बैठे लोगों को सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए।
5. दुपहिया वाहन चलाने समय चालक को और बैठे लोगों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए।
6. दुपहिया वाहन पर दो से अधिक लोगों को नहीं बैठना चाहिए।
7. वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस अवश्य बनवाना चाहिए।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने का परिणाम:-

1. यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और वह वाहन चला रहा है तो वह कानूनन अपराध है इसके लिए दण्ड प्राप्त होता है।
2. यदि कोई वाहन चलाने समय सीट बेल्ट और दुपहिया वाहन चलाने समय हेलमेट का प्रयोग नहीं किया है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।
3. और यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस बनवाये बिना ही वाहन चला रहा है तो यह भी कानूनन अपराध है जिसके लिए जुर्माना भरना भी पड़ सकता है।

जानता है हर देश का बच्चा,
सबसे पहले सड़क सुरक्षा।

यातायात दुर्घटना के कारण:-

यातायात दुर्घटना के कारण

हैं:-

1. वाहन फोन पर बात करते हुए चलाना।
2. वाहन चलाने समय सीट पर दो से अधिक लोगों का बैठना।
3. वाहन अधिक तीव्र गति से चलाना।
4. सड़कों का खराब होना और सड़कों पर पानी भरा होना।
5. सड़कों के कम होने पर एक रास्ते पर अधिक भीड़ हो जाने से दुर्घटना हो जाना।

यातायात दुर्घटना से बचाव:-

यातायात दुर्घटना से बचाव

के निम्न नियम हैं:-

1. वाहन को धीरे चलाना। तथा चलाने समय फोन पर बात न करना।
2. बांठ व कस्बे के लोगों को शिक्षित करना व जिससे वे वाहन को धीरे चलाने में मदद करें।
3. वाहन चलाने समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

उपसंहार:-

इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि वाहनों की तीव्र गति और फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं इसलिए वाहन चलाने समय वाहन को धीरे चलाना चाहिए।

यातायात के अभियान का व्यापक हो संज्ञान लेकिन सबकुछ बाद में सब सर्वप्रथम है प्राण।